न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 20/2022 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2022/71

अनवान

1. श्री कृष्णचन्द्र शर्मा पिता स्व.श्री गणेशलाल निवासी पाटूना चौ, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता कचरा मेघवाल निवासी मसारों की ओबरी, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जिसका वर्तमान में नगर पालिका ऋषभदेव में विलिनीकरण हो जाने से नगर पालिका ऋषभदेव जरिये प्रभारी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सचीन जोशी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री कमल कृपलानी विपक्षी संख्या 1 ।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव के पट्टा संकल्प सं 16 आदेश दिनांक 20.5.04

* निर्णय *

दिनांक– 31-07-2024

प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के ग्राम पंचायत ऋषभदेव के संकल्प संख्या 16 दिनांक 20.05.2004 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धूलेव में ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आबादी भूमि पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के उद्देश्य से पत्थर व रेती डाल निर्माण कार्य प्रारंभ कर कब्जा करने हेतु उतारू होने पर कस्बे के जागरूक नागरिकों जनप्रतिनिधियो जिनमें प्रार्थी भी सम्मिलित है ने विपक्षी संख्या 1 को अवैध अतिक्रमण, कब्जा करने से मना कर रोका। विपक्षी संख्या 1 उक्त कार्य करने से रोके जाने पर उसने उक्त भूखण्ड उसके स्वामित्व का होना व उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा उसे विक्रय किये जाने व पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड से संबन्धित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा उसके नाम निष्पादित कर जारी किया जाना बताया। विपक्षी संख्या 1 से पट्टे की प्रति की मांग करने पर उसने असल पट्टा दर्शित नहीं कर ग्राम पंचायत ऋषभदेव के दिनांक 20.05.2004 के संकल्प संख्या 16 से दस हजार रूपये की प्रतिफल राशि पर आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम से जारीशुदा की फोटो प्रति दर्शित करी। प्रार्थी जो कि जनप्रतिनि हो समाज का प्रतिष्ठित एवं जागरूक नागरिक है को विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे की प्रति का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पट्टा व उसके निष्पादन के संबंध में शंका उत्पन्न हुई। प्रार्थी ने वास्तविकता एवं सत्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टा के निष्पादन व प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 04.07.2022 को ग्राम पंचायत ऋषभदेव के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना मांगी। सूचना अनुसार विपक्षी संख्या 1 के नाम से पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी कर प्रदान नहीं किये जाने से विपक्षी संख्या 1 का आबादी भूमि का विक्रय विलेख फर्जी एवं कूटरचित होने से प्रार्थी की निम्न निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव के प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 20.05.2004 से पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 के नाम आबादी भूमि के विक्रय विलेख (पट्टा) जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। विपक्षी संख्या 1 का दिनांक 20.05.2004 का आबादी भूमि के विक्रय विलेख (पट्टा) पंचायत के रिकार्ड मे दर्ज नहीं हो उक्त पट्टा जारी करने के संबन्ध में कोई पत्रावली या रेकार्ड पंचायत कार्यालय में संधारित नहीं किया और न ही इस संबंध में कोई पत्रावली ही खोली गई , जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 का आबादी भूमि के विक्रय विलेख (पट्टा) फर्जी, कूटरचित हो पंचायत द्वारा विधिक तौर पर जारी नहीं किया जाने से काबिल निरस्त है। विपक्षी संख्या 1 का आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) ग्राम पंचायत ऋषभदेव के कार्यालय के रेकर्ड में दर्ज नहीं हो इससे संबंधित कोई प्रति या पत्रावली पंचायत कार्यालय मे दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव के पट्टा जारी रजिस्टर मे विपक्षी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किये जाने का अंकन नहीं है। जिससे उक्त पट्टा फर्जी, कूटरचित प्रमाणित हो काबिल निरस्त है। विपक्षी संख्या 1 के आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 20.05.2004 में अंकित 10000/– रूपये की प्रतिफल राशि ग्राम पंचायत ऋषभदेव के कार्यालय व रेकार्ड में जमा नहीं हुई और न ही उक्त राशि की कोई रसीद पंचायत के रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव के तत्कालीन सरपंच श्री नानालाल अहारी के विधायक निर्वाचित हो जाने से दिनांक 20.05.2004 को ग्राम पंचायत ऋषभदेव में सरपंच का पद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

रिक्त था। ग्राम पंचायत ऋषभदेव में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के सदस्य हेतु आरक्षित है। विपक्षी संख्या 1 के तथाकथित पट्टा पर उपसरपंच [illegible] तापडिया के हस्ताक्षर होना जाहिर आ रहा है ये सरपंच बनने के लिए सक्षम पात्रधारी व्यक्ति नहीं थे। उपसरपंच को नीतिगत फैसले लेने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। स्थापित विधि एवं नियमो मे उपसरपंच को आबादी भूमि का विक्रय विलेख एवं पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पट्टा कानून की खिलाफवर्जी मे होने से काबिल निरस्त है। पट्टा का प्रतिफल 10000 रूपये अंकित होने से पंजीबद्ध होना आवश्यक है। उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं करवाया है। विधि अनुसार ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज ग्राह्य नहीं होकर उससे किसी प्रकार के हक एवं अधिकारों का हस्तान्तरण नही होने से ऐसा अपंजीकृत पट्टा काबिल निरस्त है। यह कि विपक्षी संख्या 1 ने कपटपूर्वक, अपकृत्य कारित कर पट्टा दिनांक 20.05.2004 फर्जी एवं कुटरचित निर्मित किया या करवाया है जिसका पंचायत रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होकर उक्त पट्टा छिपाया है और उसे पूर्व में कभी प्रकट नहीं किया गया जिससे विपक्षी संख्या 1 ने कपट एवं अपकृत्य से जारी पट्टे का ज्ञान एवं जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। विपक्षी संख्या 1 के निर्माण को जागरूक नागरिको व जन प्रतिनिधियो द्वारा रोके जाने पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा कुछ समय पूर्व प्रथम बार पट्टे की प्रति दर्शित की गई जिसका प्रार्थी द्वारा अध्ययन व अवलोकन कर अविलम्ब सम्यकतत्परता बरतते हुए तुरन्त दिनांक 04.07. 2002 को सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऋषभदेव में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टे से संबन्धित सूचना मांगी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने दिनांक 27.09.2022 को प्रार्थी को सूचना उपलबध कराई जिसका अध्ययन व अवलोकन करने पर प्रथम बार विपक्षी संख्या 1 के कपट व अपकृत्य की जानकारी हुई जिससे प्रार्थी की यह निगरानी परिसीमा कानून के प्रावधानों अनुसार अन्दर अवधि न्यायालय आपमें पेश की है जिसे सुनने का न्यायालय आपको क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा दिनांक 20.05.2004 निरस्त कर खारीज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलबी हेतु लिखा गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी बंशीलाल के स्वामित्व अधिपत्य का एक आबादी भूखण्ड ग्राम ऋषभदेव में आवासीय प्रयोजनार्थ स्थित होकर उक्त आबादी भूमि नाप में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

18 गुणा 60 यानी 1080 वर्गफीट होकर जिसके पडौस का विवरण पूर्व में ऋषभदेव से बलुआ रोड पश्चिम में सिनियर स्कूल का परकोटा उत्तर में भेरूलाल का भूखण्ड एवं दक्षिण में पंचायत पडत भूमि होकर दिनांक 20.05.2004 को बाजार दर 10,000/– रूपये विकेता ग्राम पंचायत में जमा करवा कर नियमानुसार दिनांक 20.05.2004 को आबादी भूमि का विकय विलेख पट्टा प्राप्त किया है एवं प्रार्थी को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा उसके कब्जे के आधार पर बजार दर पर विकय कर दिया है। तब से ही प्रार्थी बंशीलाल बिना रोक–टोक दिये गये पट्टे के वर्णित भूखण्ड पर काबिज हो बहैसियत स्वामी होकर अधिपत्य में निर्विघ रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का है एवं अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी भूखण्ड दिये गये है। प्रार्थी द्वारा वर्णित भूखण्ड पर कमरेनुमा सीमेन्ट का ढांचा बनाया हुआ है तथा चारो ओर सीमेन्ट का परकोटा बना हुआ है। प्रार्थी जमीन के भाव बढने से भूखण्ड हडपने की बदनियती से उस समय ग्राम पंचायत ऋषभदेव में कार्यरत कर्मचारी ललित पिता मगनलाल कोठारी निवासी थाणा, मणीलाल पिता कालुलाल व्यास निवासी थाणा, राजकुमार पिता हिरालाल तापडिया निवासी ऋषभदेव राजेश पिता मोहनलाल मेनारिया निवासी ऋषभदेव निलेश पिता मोहनलाल मेनारिया निवासी ऋषभदेव, कृष्णचन्द्र पिता गणेशलाल शर्मा जो उक्त निगरानी में निगरानीकर्ता है एवं शेलेन्द्र पिता नरेन्द्र कुमार जैन निवासी ऋषभदेव ने मिलकर भारी भरकम राशि हडप कर पंचायत में प्रार्थी का रिकार्ड गायब कर अन्य को विकय विलेख पट्टा जारी करने की नियत से राजेश पिता मोहनलाल मेनारिया के नाम 18 गुणा 25 कुल 450 वर्गफीट का भूखण्ड ग्राम पंचायत ऋषभदेव से मिलकर प्रार्थी का रेकार्ड गायब कर सन 2012 में नया पट्टा स्वर्ण जाति के सदस्य को जारी करवा दिया एवं पंजीयन भी करवा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं होने दी एवं निगरानीकर्ता कृष्णचन्द्र व पट्टाकर्ता राजेश पिता मोहनलाल मेनारिया व शेलेन्द्र जैन द्वारा मिलकर प्रार्थी को उसके भूखण्ड से बेदखल करने के लिये पूर्व नियोजित साजिश के तहत जेसीबी मशीन व मजदुर लगाकर प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर आपराधिक अतिचार कर वर्षो पुराना बना हुआ परकोटा व कमरेनुमा निर्मित ढांचा गिरा दिया एव उनके द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिनकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा संबन्धित थाने पर रिपोर्ट देकर रूकवाना चाहा परन्तु पुलिस द्वारा प्रार्थी की कोई मदद नहीं की एवं अतिक्रमण नहीं रोके जाने पर प्रार्थी बंशीलाल द्वारा एक वाद बाबत् स्थायी एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा श्रीमान सिविल न्यायाधीश न्यायालय खेरवाडा में विरूद्ध प्रतिवादीगण शेलेन्द्र जैन, कृष्णचन्द्र निगरानीकर्ता व राजेश पिता मोहनलाल मेनारिया के विरूद्ध प्रस्तुत किया मौके पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कमीशनर नियुक्त कर मौका निरीक्षण भी कराई गई एवं विपक्षीगणों द्वारा अस्थायी रूप पर उक्त निर्माण कार्य रूकवाया गया एवं उनके द्वारा जवाब पेश करने पर मौका पट्टा जारी करने की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी की और से एक आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना ऋषभदेव में प्रार्थी की और से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर परिवाद के जरिये दर्ज करवाया जो एफआईआर नम्बर 0196/2020 अन्तर्गत धारा 120 बी मे ही दर्ज कर पुलिस ने मुल्जिमानों को मदद कर एक तरफा अनुसंधान किया गया एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी की ओर से एक प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय के विचाराधीन है उसमें निगरानीकर्ता के विरूद्ध भी उक्त एफआईआर में नाम दर्ज है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को शुरू से ही प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने की जानकारी थी बावजुद वह ग्राम पंचायत में अपने प्रभाव का उपयोग कर भूमि हडपने एवं माफियागिरी कर प्रार्थी के विरूद्ध साजिश रची गई है एवं निगरानीकर्ता द्वारा सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद बिना किसी विधिक आधार के यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। यद्यपी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.01.2023 को दिये आदेश के अनुसार अस्वीकार किया गया है। परन्तु यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि वादी अपना बाद साबित करने में सफल रहता है तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि से की जा सकती है। एवं उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में पेश कर दी है एवं मुल वाद बाबत् स्थायी एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का सिविल न्यायालय खेरवाडा के विचाराधीन होकर मु.न. 5/20 आगामी सुनवाई दिनांक 20.03.2023 नियत है। एवं आपराधिक प्रकरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र भी एसीजेएम न्यायालय खेरवाडा के विचाराधीन है जिसकी आगामी दिनांक 02.05.2023 को नियत है। निगरानीकर्ता को वाद की जानकारी जुलाई 2020 से ही है। यह निगरानी भी सही तथ्यों को छुपाकर लाया है एवं स्वच्छ हाथों से नहीं लाकर माननीय न्यायालय को दिगभर्मित कर बिना किसी विधिक आधार के प्रार्थी का पट्टा दिनांक 20.05.2004 निरस्त कराने की जो दाद चाही है वह निगरानीकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 20.05.2004 को जो पट्टा दिया गया है वह मुल पट्टा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न हो मुल वाद पत्र न्यायालय के विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा जो रिकार्ड छिपाया गया है या खुर्द बुर्द किया गया है उस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना ऋषभदेव में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसकी एफआईआर की प्रमाणित प्रति बतौर दस्तावेज जवाब के साथ दस्तावेज फेरिस्त के साथ अन्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

दस्तावेज सिविल वाद प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र, कमीश्नर रिपोर्ट आदि के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है । जो न्यायालय के वाद अवलोकन सही तथ्य स्वतः ही उजागर हो जायेगे एवं सिविल न्यायालय खेरवाडा में विचाराधीन मुल वाद एवं एसीजेएम न्यायालय खेरवाडा एफआईआर नम्बर 0196/2020 में प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के साथ अंतिम प्रतिवेदन की वाद सुनवाई निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक माननीय न्यायालय को उक्त पट्टे संबन्धित निगरानी सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अगर पट्टा की राशि पंचायत में जमा नहीं हुई तो उसके लिये पंचायत के कर्मचारी दोषी है। प्रार्थी का मालिकाना हक है एवं सक्षम ग्राम पंचायत द्वारा आबादी पट्टा प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिया गया है एवं प्रार्थी के साथ धोखाधडी किये जाने से सिविल न्यायालय के शरण लेने हेतू प्रार्थी को बाध्य होना पडा है एवं तब सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय खेरवाडा में विचाराधीन मुल वाद के निस्तारण तक माननीय न्यायालय को उक्त पट्टे संबन्धित किसी प्रकार का विधिक निर्णय लिये जाने का कोई कानुनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध एफआईआर पूर्व से दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता जागरूक नागरिक जनप्रतिनिधी नही होकर उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कनुनन अधिकारी नहीं है। बल्कि उक्त निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा जो नया पट्टा जारी किया गया है उसको मदद कर माफियागिरी कर प्रार्थी की भूमि हडपने एवं उसे नुकसान पहुचाने की दुर्भावना से पेश की है एवं उक्त निगरानी कानुनी परिसीमा के प्रावधानों के अनुसार मयाद बाहर है। एवं माननीय न्यायालय आप को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः एवं उक्त आशय का जवाब मय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वंय खारिज फरमावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि पंचायत के रेकोर्ड में कोई पट्टा दर्ज नहीं है। 10000/–रूपया राशि जमा करा पट्टा लेने की बाद कही है वह राशि भी कहीं जमा नहीं है। 20.05.04 से पहले ही पंचायत रिर्जव अनुसूचित जनजाति के लिए थी। श्री नानालाल जी एमएलए बने तो सरपंच की कुर्सी खाली थी। किसी को सरपंच नहीं बनाया। जब सरपंच ही नहीं है तो उप सरपंच ने पट्टा कैसे दिया। उप सरपंच अनुसूचित जाति के नहीं थे, पंचायत के फैसले लेने का अधिकार नहीं था पट्टा जारी नहीं कर सकते थे। 100रू से अधिक के ट्रांजेक्शन होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है जो नहीं कराया गया है। डीएलसी रेट से भी कम पर पट्टा दिया है। पंचायत ने भी सूचना अधिकार के तहत सूचना में पट्टा जारी नहीं करने की बात कही है। अतः पट्टा खारिज किया जाने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि निगरानीकर्ता कृष्णचन्द्र का इस प्रोपर्टी से क्या लेना है। इनके कहने से फर्जी नहीं हो सकता है। फर्जी थी तो क्या कोई एफआईआर दर्ज करायी थी। 2004 में पट्टा दिया आज आपत्ति करने आये है। 2012 में इसी ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। पहला पट्टा मुझे दिया गया है। मेने सिविल कोर्ट में दावा कर रखा है। रेकार्ड पंचायत का था तो पंचायत को संभालना है, रेकार्ड संभालने का दायित्व मेरा नहीं है। कालुराम का शपथ पत्र पेश किया है। दावे की जानकारी 2020 में ही हो गई थी 2022 में दावा किया है समय सीमा से भी बाहर है। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव का रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र कमांक पंसऋ/पंचायत/24–25/104 दिनांक 02.05.2024 पेश कर बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की जिसमें श्री बंशीलाल पिता कचरा मेघवाल निवासी ऋषभदेव हाल मुकाम मसारों की ओबरी को जारी पट्टे संबंधित कोई भी रिकार्ड में दर्ज नहीं है। दिनांक 20.05.2004 के प्रस्ताव संख्या 16 पर श्री बंशीलाल पिता कचरा मेघवाल को जारी पट्टे का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। पट्टे का रिकार्ड कार्यालय में अंकित नहीं है और न ही पट्टे की कार्यालय प्रति उपलब्ध है। जमा राशि 10000/– राशि की रसीद रिकार्ड में अंकित नहीं है। और न ही जमा राशि रोकड बही में इन्द्राज है। बंशीलाल पिता कचरा मेघवाल के नाम पट्टा जारी रजिस्टर में भी अंकित नहीं है। सरपंच का पद रिक्त होने से उपसरपंच श्री राजकुमार तापडिया को ग्राम पंचायत की बैठक संचालन एवं दैनिक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया था। श्री तापडिया को नीतिगत फैसले पटटा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार श्री बंशीलाल पिता कचरा मेघवाल के नाम जारी पट्टे सम्बन्धित ग्राम पंचायत ऋषभदेव में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। न ही ग्राम पंचायत ने उक्त व्यक्ति को पट्टा जारी किया गया है। अतः यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। विकास अधिकारी के रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि मूल पट्टा सम्बन्धी कोई भी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे भी यह समझा जा सकता है कि उक्त पट्टे को ग्राम पचांयत द्वारा जारी नहीं किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जब विकास अधिकारी द्वारा अपने रिपोर्ट में पट्टे के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे है तो ऐसे में यह स्पष्ट है उक्त पट्टा ग्राम पचांयत के द्वारा विधिवत जारी नहीं हुआ है एवं पट्टे की प्रकिया पुरी नहीं हुई है। जब विभाग द्वारा पट्टे के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया है तो ऐसे स्थिति में उक्त पट्टा स्वतः ही निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत ऋषभदेव के नाम से जारी कथित पट्टा संकल्प संख्या 16 दिनांक 20.05.2004 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका ऋषभदेव को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)